## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

1- रामदास तनय सुआन यादव,

2- पन्ना तनय सुआन यादव,

निवासी मौखरा तह0 व जिला टीकमगढ़ म.प्र. —— आवेदकगण

|| विरूद्ध ||

1- तुलसी तनय रंचू अहिरवार

2- कूरा तनय रतना अहिरवार

निवासी मौखरा तह0 व जिला टीकमगढ़ म.प्र. —— अनावेदकगण

R-2208-V/2000

दिनांक 17-11-2000 को आज कैम्प पर श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा अधि० द्वारा प्रस्तुत।
17-11-2000

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा निग0 प्र0 क्र0 520/अ-19/98-99 में पारित आदेश दिनांक 26-9-2000 से दुखित होकर.

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

1- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम मौखरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1307/8 एवं 1300/4 रकवा 2.183 हेक्टे0 पर आवेदकगणों का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण व्यवस्थापन किये जाने हेतु विधिवत रूप से अपना आवेदनपत्र नायब तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के रिकार्ड में पृष्ठ 3 पर संलग्न है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में रा0 प्र0 क्र0 7/अ-19(4)/वर्ष 93-94 दर्ज किया गया तथा प्रकरणमें विधिवत रूप से इश्तहार जारी किया गया एवं निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्तियां ना आने पर आवेदकगण से कब्जे के सन्दर्भ में साक्ष्य ली गई

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. . निग. . 2208 / V / 2000 . जिला . . . . टीकमगढ़ . . . . . . . .

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-1-17 | 1— आवदक के अधिवक्ता राजेन्द्र खरे उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 520 / अ—19 / 1998—99 मे पारित आदेश दिनांक 26 / 09 / 2000 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।<br>2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम मोखरा में स्थित भूमि खसरा नं0 1307 / 7, 1310 / 4 रकवा 2.183 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। आवेदक का कब्जा लगभग 23 वर्षो से चला आ रहा है। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार (बड़ागॉव) टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 / अ—19(4) / 1993—94 आदेश दिनांक 13 / 12 / 1993 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अनावेदक द्वारा बिना किसी विधिक आधार अवधि वधित निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो कि निरस्त किए जाने से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 10—12 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् अनावेदक के आवेदन पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही | |

[क्र. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर टीकमगढ़ एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।<br>4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि न होने के आधार पर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।<br>5– उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश में आवेदक को कारण बताओं सूचनापत्र जारी किया जाना नहीं पाया जाता है तथा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1993 में किया गया एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 1996 में प्रारंभ की गई है। जिसके तहत स्वमेव निगरानी की कार्यवाही में कब्जा न होने का आधार लेते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जबकि प्रकरण में संलग्न हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक का कब्जा होना प्रमाणित पाया जाता है जिसके तहत उन्हें किया गया व्यवस्थापन किए जाने में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं ऐसी स्थिति में स्वमेव निगरानी के तहत पारित आदेश विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर टीकमगढ़ एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।<br>6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/09/2000 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/08/1999 निरस्त किये जाते है। तथा नायब तहसीलदार (बड़ागॉव) टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/12/1993 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>सदस्य | |